अध्याय-III

कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन

अध्याय - III
कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन

नवंबर 2012 में भारत सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के लिए लाभार्थियों की अनुमानित/अधिकतम संख्या[1] से अवगत कराया था। विभाग द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों के कवरेज के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए जाते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों की अधिकतम संख्या के अनुसार भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन किया जाता है तथा लाभार्थियों की संख्या इससे अधिक होने पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार एकल आवंटन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार को निधियां जारी करती है, जिसमें राज्य सरकार को आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां आवंटित करने की छूट होती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त राशि प्रदान कर सकते हैं (भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक) ताकि वे यथोचित स्तर की सहायता प्राप्त कर सकें। हिमाचल प्रदेश में राज्य के बजट से केंद्रीय सहायता के अनुपूरक के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों को पेंशन प्रदान की जा रही है ताकि राज्य की योजनाओं के बराबर समग्र सहायता प्राप्त हो सके। इस प्रकार हालांकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एक ही श्रेणी की योजनाओं के लिए पेंशन दरें राज्य की योजनाओं की तुलना में कम हैं, परन्तु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं राज्य दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समान पेंशन राशि मिलती है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भारत सरकार व राज्य सरकार के सहायता स्तर का विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

3.1 पात्र व्यक्तियों का डेटाबेस

संशोधित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश, 2014 का परिच्छेद 5.2.2 पात्र लाभार्थियों के डेटाबेस के अनुरक्षण एवं उसे सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने पर जोर देता है। लाभार्थी डेटा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों का विवरण शामिल होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

- विभाग ने ग्राम पंचायतों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जागरूकता शिविरों इत्यादि द्वारा *प्रचार* के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के साथ-साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का आयोजन किया।

[1] भारत के महापंजीयक के 2001 की जनगणना के आंकड़ों व योजना आयोग के गरीबी अनुपात के अनुमान 2004-05 (जो भी कम हो) के आधार पर परिकलित

2017-21 के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों[2] हेतु ₹ 1.62 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 0.88 करोड़ का व्यय किया गया था।

- विभाग ने पात्र लाभार्थियों/जनसंख्या के श्रेणी-वार या आयु-वार डेटाबेस को सक्रिय आवधिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त करने जैसे तंत्र के माध्यम से अनुरक्षित नहीं किया था।
- आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से लाभार्थियों का डाटा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया था। तथापि, इस आंकड़े को सक्रिय रूप से अद्यतन नहीं किया गया था क्योंकि लाभार्थी की पात्रता स्थिति में परिवर्तन की सूचना ग्राम पंचायतों/ डाकघरों द्वारा दी जानी थी एवं विभागीय पदाधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर इसे सत्यापित करना था। इन मामलों का सत्यापन/ पुष्टि विलम्ब से की गई, जैसा कि परिच्छेद 5.5.1 में दर्शाया गया है।
- डेटाबेस के अभाव में, पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की पहल पर निर्भर था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने तीन चयनित तहसील कल्याण अधिकारियों (अर्की, मण्डी-सदर एवं शिमला ग्रामीण) के नमूना-जांचित 11 ग्राम पंचायतों के 826 बीपीएल परिवारों[3] के अभिलेखों की नमूना-जांच की। यह देखा गया कि पात्र लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार न होने के कारण इन परिवारों के 29 बीपीएल व्यक्ति (छः[4] ग्राम पंचायत) किसी भी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे, यद्यपि ग्राम पंचायतों के अभिलेख के अनुसार उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के विरुद्ध था जो बीपीएल के कवरेज पर जोर देता है तथा यह निर्धारित करता है कि पेंशन की मंजूरी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले लाभार्थियों के सन्दर्भ में संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि इन व्यक्तियों द्वारा कोई आवेदन न किए जाने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी; यद्यपि पात्र लाभार्थियों को कवर करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ नियमित समन्वय किया जा रहा था।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को योजना के तहत पात्र होने वाले संभावित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कहा जाएगा ताकि विभाग उन लोगों की सूची तैयार कर सकें जो भविष्य में पात्र होंगे या 60 वर्ष की आयु के होंगे।

3.2 लक्षित लाभार्थी एवं उनका कवरेज

हर वर्ष लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर राज्य सरकार प्रत्येक योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों के लक्ष्यों में संशोधन/वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान करती है एवं तदनुसार

---

2 2017-21 के दौरान विज्ञापन व प्रचार शीर्ष के तहत बजट: ₹ 1.62 करोड़ एवं व्यय: ₹ 0.88 करोड़

3 अर्की: हाटकोट - 35; कोठी - 104; कुनिहार - 123; एवं पलोग: 76; मंडी सदर: बारी गुमानु - 35; नसलोह - 138; सध्याना - 52; व टकोली - 43: शिमला ग्रामीण: आनंदपुर - 78; जलेल - 83 व थड़ी - 59

4 अर्की: कोठी - 03; कुनिहार - 07; एवं पलोग: 02; मंडी सदर: नसलोह -13; एवं टकोली - 03; तथा शिमला ग्रामीण: थड़ी - 01

बजटीय प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2020-21 हेतु लक्षित लाभार्थियों की जिले-वार एवं योजना-वार संख्या **परिशिष्ट-4** में दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्रैमासिक/छ:मासिक आधार पर संवितरित की जाती है।

सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति पर आवेदक प्रतीक्षा-सूची में जोड़ा जाता हैं तथा यद्यपि वे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है तथापि केवल प्रासंगिक योजना के तहत स्लॉट/रिक्तता की उपलब्धता पर शामिल किए जाते हैं। 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षा-सूची में 31,396 पात्र लाभार्थी थे। प्रत्येक तिमाही/छमाही में अपात्र लाभार्थियों को सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची से हटा (दमन) दिया जाता है तथा प्रतीक्षा-सूची से संभावित लाभार्थियों द्वारा बदल (प्रतिस्थापन) दिया जाता है। डाक कार्यालयों व ग्राम पंचायतों को समझौता ज्ञापन एवं नियमानुसार पेंशनभोगियों के अपात्र होने के बारे में विभाग को सूचित करना आवश्यक है। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर विभाग पेंशनभोगी को अस्थायी रूप से हटा देता है तथा उसे एक माह के भीतर ऐसी रिपोर्ट की पुष्टि करनी होती है। पुष्टि होने पर (तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी को पुष्टिकरण रिपोर्ट भेजते हैं एवं सहायक दस्तावेज तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाते हैं) या तो पेंशनभोगी को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है या हटाना रद्द कर दिया जाता है। जिला कल्याण अधिकारियों के पास ई-कल्याण पर अस्थायी/स्थायी रूप से हटाए गए पेंशनभोगियों की सूची का अभिगम्यता होता है। डेटा डंप में मृत्यु, रोजगार, पुनर्विवाह आदि के कारण अस्थायी रूप से हटाए गए 2.24 लाख मामले पाए गए। **परिच्छेद-5.5** में इन मामलों के विषय में विवरण दिया गया है। लाभार्थियों को हटाया जाना एवं प्रतिस्थापन प्रत्येक तिमाही/छमाही की एक सतत प्रक्रिया है।

2017-21 के दौरान चयनित योजनाओं के तहत लाभार्थियों का लक्ष्य एवं संबंधित तिमाहियों के दौरान उनके प्रति लाभार्थियों का समग्र कवरेज नीचे तालिकाओं में दिया गया है:

तालिका-3.1: चयनित योजनाओं के अंतर्गत राज्य में लाभार्थियों का वर्ष-वार लक्ष्य

पेंशन योजना	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	94120	98145	99204	100722
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	22020	23210	23551	24008
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	929	1039	1114	1118
वृद्धावस्था	165865	240083	257359	290194
विधवा	80688	89449	92267	96903
दिव्यांग राहत भत्ता	48743	57578	59451	63027
योग:	**412365**	**509504**	**532946**	**575972**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

तालिका-3.2: चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सक्रिय पेंशनभोगियों का विवरण

वर्ष	लक्ष्य	सक्रिय पेंशनभोगियों की संख्या				कमी (2-6) प्रथम तिमाही
		प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2017-18	**412365**	404600	404600	404600	406853	5512
2018-19	**509504**	436535	428348	480415	501915	7589
2019-20	**532946**	502349	524000	526132	528584	4362
2020-21	**575972**	568081	568250	568979	567453	8519

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि:

- विगत चार वर्षों में लक्षित पेंशनभोगियों में लगातार वृद्धि हुई है।
- 2017-18 व 2020-21 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन (राज्य योजना) के तहत लाभार्थियों की संख्या में 75 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2018 में बिना आय मानदंड के तहत वृद्धावस्था पेंशन हेतु आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के कारण यह वृद्धि हुई।
- 2017-21 के दौरान लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लक्ष्यों के प्रति लाभार्थियों के कवरेज में 4362 व 8519 के मध्य की कमी थी। संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित निधियों (परिच्छेद 3.5) तथा प्रतीक्षा-सूची में आवेदक लंबित रहने (परिच्छेद 3.3) के बावजूद ऐसा हुआ। इसका कारण अस्थायी रूप से हटाए पेंशनभोगियों का सत्यापन करने में विलम्ब था, जिससे अपात्र पेंशनभोगियों को हटाने से सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची में रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई (परिच्छेद 5.5.1)।

3.3 लंबित मामले

संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन के अनुमोदन एवं संबंधित योजना के तहत रिक्ति/स्लॉट की उपलब्धता पर आवेदक को प्रतीक्षा-सूची में जोड़ा जाता है एवं आवेदक को लाभ के संवितरण हेतु सक्रिय-सूची में जोड़ा जाता है।

अपात्र लाभार्थियों को हटा कर (अर्थात रोक - लाभार्थी की अपात्रता की सूचना मिलने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन पर स्थायी रूप से रोक/निरस्त कर दी जाती है) अथवा लक्ष्य बढ़ा कर प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा रही है।

राज्य सरकार ने आवेदन प्राप्त होने के उपरांत पेंशन स्वीकृत करने के लिए कोई समयसारणी निर्धारित नहीं की थी। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रतीक्षा-सूची में काफी संख्या में मामले तथा आवेदन प्राप्त होने के बाद पेंशन की स्वीकृति में लगने वाले असामान्य समय का पता चला।

मार्च 2021 तक राज्य में चयनित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रतीक्षा-सूची में लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-3.3: 2017-21 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर चयनित योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों की संख्या

योजना	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	लक्ष्य	प्रतीक्षित (संख्या में) (*कोष्ठक में प्रतिशत*)	लक्ष्य	प्रतीक्षित (संख्या में) (*कोष्ठक में प्रतिशत*)	लक्ष्य	प्रतीक्षित (संख्या में) (*कोष्ठक में प्रतिशत*)	लक्ष्य	प्रतीक्षित (संख्या में) (*कोष्ठक में प्रतिशत*)
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	94120	2204 (2)	98145	1059 (1)	99204	1518 (2)	100722	1087 (1)
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	22020	407 (2)	23210	341 (1)	23551	457 (2)	24008	390 (2)
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	929	72 (8)	1039	75 (7)	1114	04 (0)	1118	10 (1)
वृद्धावस्था	165865	21312 (13)	240083	17276 (7)	257359	32835 13)	290194	23990 (8)
विधवा	80688	4313 (5)	89449	2818 (3)	92267	4636 (5)	96903	4042 (4)
दिव्यांग राहत भत्ता	48743	4500 (9)	57578	1873 (3)	59451	3576 (6)	63027	1877 (3)
योग:	**412365**	**32808 (8)**	**509504**	**23442 (5)**	**532946**	**43026 (8)**	**575972**	**31396 (5)**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े। नोट: कोष्ठक में दिए आंकड़े लक्ष्य के *प्रतिशत* को दर्शाते है।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि:

- 2017-21 के दौरान राज्य में प्रतीक्षा-सूची में संभावित लाभार्थियों की संख्या कुल लक्ष्य के पांच से आठ *प्रतिशत* के मध्य थी।
- 2017-21 के दौरान राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक थी जो लक्ष्य के सात से 13 *प्रतिशत* के मध्य थी।
- मार्च 2021 तक चयनित योजनाओं के अंतर्गत राज्य में 31,396 लाभार्थी प्रतीक्षा-सूची में थे।
- आवेदकों को आवेदन के अनुमोदन या अस्वीकृति के संबंध में प्रतिक्रिया तंत्र मौजूद नहीं था।

पेंशन की संस्वीकृति हेतु समयसारणी निर्धारित न करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मामले प्रतीक्षा-सूची में रहे एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद पेंशन की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कवरेज व समय पर लाभ प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

12 जिलों में डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- छः सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 8717 आवेदन[5] (प्रतीक्षा-सूची के 4.42 लाख में से) पेंशन की अंतिम स्वीकृति से पूर्व एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा-सूची में रहे। इन मामलों में प्रतीक्षा अवधि का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

आवेदनों की संख्या	प्रतीक्षा अवधि			
	1 वर्ष से अधिक	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक
8717	8280	390	43	04

- आठ जिलों के इन मामलों में 329 आवेदकों[6] की प्रतीक्षा-सूची में मृत्यु हो गई, जिनमें से 29 लाभार्थियों की मृत्यु प्रतीक्षा-सूची में शामिल होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के बाद हुई।

विभाग को अपात्र लाभार्थियों को हटाने तथा प्रतीक्षा-सूची में पात्र आवेदकों की बोर्डिंग पर अस्थाई रुप से हटाए गए लाभार्थियों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए था।

जिला कल्याण अधिकारी (मुख्यालय) ने भी पुष्टि की कि राज्य सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी।

3.4 बजट आवंटन एवं व्यय

2017-18 व 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवंटित वित्तीय परिव्यय एवं उसके प्रति हुए व्यय का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका-3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4: चयनित पेंशन योजनाओं हेतु आवंटित निधियां एवं उनके प्रति हुआ व्यय

(₹ करोड़ में)

पेंशन योजना	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		सकल योग	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	43.41	42.17	47.36	46.94	50.01	48.81	63.93	63.45	204.71	201.37
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	10.55	10.28	11.43	11.33	12.12	11.84	14.56	14.52	48.66	47.97
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना	0.72	0.65	1.35	1.22	1.42	1.09	1.37	1.34	4.86	4.30
वृद्धावस्था	217.39	214.61	346.00	345.61	437.48	435.71	546.92	546.63	1547.79	1542.56
विधवा	123.41	121.46	125.57	125.42	141.60	141.08	144.25	144.18	534.83	532.14
दिव्यांग राहत भत्ता	45.93	45.36	48.88	48.83	71.87	71.68	88.47	88.40	255.15	254.27
योग:	**441.41**	**434.53**	**580.59**	**579.35**	**714.50**	**710.21**	**859.50**	**858.52**	**2596.00**	**2582.61**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

5 बिलासपुर: 581; चंबा: 1062; हमीरपुर: 276; कांगड़ा: 2695; किन्नौर: 102; कुल्लू: 1141; लाहौल-स्पीति: 10; मंडी: 888; शिमला: 1240; सिरमौर : 435; व सोलन: 287

6 बिलासपुर: 18; चंबा: 01; हमीरपुर: 08; कांगड़ा: 23; कुल्लू: 18; मंडी: 229; शिमला: 07; सिरमौर: 03 व ऊना: 22

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-21 के दौरान चयनित पेंशन योजनाओं के तहत उपलब्ध ₹ 2596.00 करोड़ के बजट के प्रति इन योजनाओं पर ₹ 2582.61 करोड़ का व्यय किया गया एवं ₹ 13.39 करोड़ अप्रयुक्त रहें।

3.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन निधियों का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के नियम 183 में निर्धारित है कि त्वरित संवितरण आवश्यक होने के अतिरिक्त कोषागार से निधियों का आहरण अनुमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नियमावली, 2010 का परिच्छेद 10(4) निर्धारित करता है कि किसी तिमाही विशेष में मृत/अपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में संवितरित नहीं की गई राशि को अगली तिमाही में अल्प आहरण के माध्यम से समायोजित किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान के प्रति निदेशक लाभार्थियों की संख्या के आधार पर जिला कल्याण अधिकारियों को बजट आवंटित करता है। जिला कल्याण अधिकारी कोषागार से निधियों का आहरण करते है उसे एक नामित बचत बैंक खाते में अंतरित करते है जहां से लाभार्थियों को पेंशन भुगतान संवितरित किया जाता है।

चयनित चार जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017-21 के दौरान पेंशन लाभ के संवितरण हेतु कोषागार से आहरित ₹ 12.34 लाख से ₹ 1436.87 लाख तक की निधियां चयनित तीन[7] जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में हर तिमाही की समाप्ति तक अव्ययित रही, जैसा कि परिशिष्ट-5 में विवर्णित है।

प्रत्येक तिमाही के अंत में अव्ययित शेष राशि इस तथ्य का संकेत था कि निकासी बिना आवश्यकता के की गई थी एवं हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगली तिमाहियों में अव्ययित राशियों को समायोजित नहीं किया गया था। इस राशि का उपयोग प्रतीक्षा-सूची में संभावित लाभार्थियों को पेंशन की स्वीकृति व अन्य कल्याणकारी गतिविधियों हेतु किया जा सकता था, जैसा कि परिच्छेद 3.3 में चर्चा की गई है।

सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने बताया कि डाक कार्यालयों/बैंक द्वारा मृत लाभार्थियों की पेंशन का संवितरण न होने के कारण राशि बकाया रही; हालांकि भविष्य में कोषागार से अल्प आहरण द्वारा बकाया राशि का समायोजन किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हर तिमाही की समाप्ति तक सतत शेष राशि परिचायक है कि निधियां अल्प आहरण के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा समायोजित नहीं की गई।

सारांश-

- *यद्यपि 2017-21 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं हेतु सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों पर ₹ 0.88 करोड़ व्यय किया गया, लेकिन पात्र व्यक्तियों को शामिल न किया जाना देखा गया।*

[7] मंडी: ₹66.21 लाख से ₹1436.87 लाख, शिमला: ₹18.88 लाख से ₹149.77 लाख व सोलन: ₹12.34 लाख से ₹124.65 लाख (किन्नौर में मामले नहीं देखे गए)

- *नमूना-जांचित 11 ग्राम पंचायतों (तहसील कल्याण अधिकारियों अर्की,मंडी-सदर तथा शिमला ग्रामीण के अंतर्गत) के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 826 घरों में इन परिवारों के 29 व्यक्ति (बीपीएल) 60 वर्ष से अधिक आयु होने के बावजूद किसी भी योजना में शामिल नहीं किए गए थें ।*
- *उपर्युक्त उल्लेखित 10 व्यक्तियों के तदर्थ सर्वेक्षण में यह देखा गया कि केवल एक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से अनभिज्ञ था। आठ लोगों ने बताया कि उन्होंने लेखापरीक्षा के समय पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया था एवं बाद में आवेदन किया था।*
- *सक्रिय आवधिक सर्वेक्षणों अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों से पात्र जनसंख्या का श्रेणी-वार या आयु-वार डेटा/जानकारी प्राप्त कर डेटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया। जिसके अभाव में पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों पर निर्भर था।*
- *प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लक्ष्य के प्रति लाभार्थियों के कवरेज में 4362 से 8519 के मध्य की कमी पाई गई।*
- *निधियां प्रासंगिक वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक अव्ययित थीं एवं आवेदक प्रतीक्षा-सूची में थे। चयनित तीन जिलों (मंडी, शिमला व सोलन) में ₹ 12.34 लाख से ₹ 1436.87 लाख तक की निधियां सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित थीं।*
- *पेंशन मामलों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी। 2017-21 के दौरान अस्थायी रूप से हटाए जाने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन में विलम्ब के कारण हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 23,442 व 43,026 के मध्य तक मामलों की भारी संख्या एवं सक्रिय पेंशनभोगियों की सूची में प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को लाना लंबित था।*

सिफारिशें *- राज्य सरकार विचार करें:*

- *संभावित लाभार्थियों की पहचान हेतु सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना एवं पात्र जनसंख्या का आयु-वार अथवा श्रेणी-वार डेटाबेस निर्मित करना।*
- *लक्ष्यानुसार लाभार्थियों का कवरेज एवं निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।*
- *लक्ष्यों की आवधिक समीक्षा की जाएं, पेंशन की स्वीकृति एवं अपात्र के रूप में सूचित किए गए लाभार्थियों का सत्यापन समय-बद्ध रूप से करें।*